रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 107] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 5, 1976/फाल्गुन 15, 1897
No. 107] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 5, 1976/PHALGUNA 15, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY No. Date GOVT. OF INDIA

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 5th March 1976

S.O. 170(E).—Whereas by the notified Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development), S.O. No. 1027, dated the 6th March, 1971, the Central Government had authorised the body of persons specified therein to take over the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs. Braithwaite and Company (India) Limited, Calcutta;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said notified order should be extended by a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18-A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said notified order by a further period of one year.

[No. F. 4/7/76-CUC.]

D. K. SAXSENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1976

का० आ० 170 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास विभाग तथा आन्तरिक व्यापार (औद्योगिक विकास विभाग) के अधिसूचित आदेश का० आ० सं० 1027 तारीख 6 मार्च, 1971 द्वारा, उसमे विनिर्दिष्ट व्यक्तियो के निकाय को, मैसर्स ग्रेथवेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त अधिसूचित आदेश की कालावधि को एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाया जाना चाहिए ;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचित आदेश की कालावधि को एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाती है।

[सं० फा० 4/7/76-सी यू सी]

दिनेश किशोर सक्सैना, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976